लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3365

12 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

हस्तशिल्प और हथकरघा

3365. श्री पी. के. कुनहालिकुट्टीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), कपड़ा मंत्रालय के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) के साथ बुलियन के आयात के लिए समझौते करने वाली फर्मों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों की स्थिति क्या है और चार वर्षों की जांच के बाद भी आरोप पत्र दाखिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एचएचईसी ने उन बुलियन पार्टियों के बकाया के निपटान के संबंध में सीबीआई से विचार/स्पष्टीकरण मांगा है, जिनके विरुद्ध कोई मामला या जांच लंबित नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सीबीआई द्वारा एचएचईसी को दिए गए विचारों/स्पष्टीकरण का पूरा ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख) जी हां। सीबीआई ने हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचएचईसी) के बुलियन व्यापारिक लेन-देन से संबंधित दो मामले पंजीकृत किए है। पहला मामला एचएचईसी के अज्ञात अधिकारियों व एडलवीस कॉमोडिटीज सर्विसेज लि. (ईसीएसएल) के विरुद्ध है। मामले को अभी समाप्त नहीं किया गया है। दूसरा मामला मैसर्स आर्यवर्त कमोडिटीज प्रा.लि. (एसीपीएल) के विरूद्ध है जिसमें सीबीआई द्वारा दिनांक 29.12.2017 को चार्जशीट फाइल की गई है और फिलहाल यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्टस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचएचईसी) ने सीबीआई से मैसर्स एडलवीस कॉमोडिटीज लि. (ईसीएसएल) के अलावा बुलियन पार्टियों के रोके गए भुगतान से संबंधित स्पष्टीकरण मांगा है, जिनके साथ एचएचईसी ने ईसीएसएल के साथ यथाहस्ताक्षरित करार की तरह का करार किया है। सीबीआई से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या एचएचईसी उन अन्य बुलियन पार्टियों के भुगतान जारी कर सकती है जिनके साथ एचएचईसी का समान लेन-देन है। सीबीआई के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

*****